

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय
कार्यालय आदेश

1/उ० नि० स्थापना-05-02/19

ज्ञापांक :- 2471

पटना, दिनांक :- 28.06.19

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-434 दिनांक-01.03.2007 पठित सह संकल्प संख्या-1697 दिनांक-28.05.2008 तथा पत्रांक-881 दिनांक-03.06.2009 के प्रावधानों के आलोक में उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों में पदस्थापित निम्नलिखित कर्मियों को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान/केन्द्र पर पदस्थापित किया जाता है :-

सम्वर्ग :- आशुलिपिक :-

क्र०	कर्मि का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5
1.	श्री चन्द्रबोस चौधरी	आशुलिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर	जिला उद्योग केन्द्र, पटना।
2.	श्री अमरेश चन्द्र	आशुलिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर	जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद।
3.	श्री अर्जुन चौधरी	आशुलिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर	जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद।
4.	श्री रंजन प्रसाद	आशुलिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, गया प्रति० जहानाबाद।	जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद।
5.	श्री संजय कुमार	आशुलिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, गया।	जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय।
6.	श्री अवधेश प्रसाद	आशुलिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, गोपालगंज।	जिला उद्योग केन्द्र, सिवान।
7.	श्री नन्दलाल चौधरी	आशुलिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद।	जिला उद्योग केन्द्र, गया।
8.	श्री संजय कुमार	आशुलिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार।	जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ।
9.	श्री राजेश्वर ताँती	आशुलिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय।	जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा।
10.	श्री परमानंद प्रसाद	आशुलिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, नवादा	जिला उद्योग केन्द्र, शेखपुरा।

2. सभी स्थानान्तरित/प्रतिनियुक्त कर्मि अपने पटल का प्रभार सौंपकर पत्र निर्गत की तिथि से दस दिनों के अन्दर नव पदस्थापन स्थान पर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। सभी स्थानान्तरित कर्मियों का माह जुलाई, 2019 का वेतन भुगतान उनके नव पदस्थापन स्थान से ही होगा।

3. सभी महाप्रबंधक/नियंत्रि पदाधिकारी स्थानान्तरित कर्मियों को नव पदस्थापन स्थान पर योगदान करने हेतु ससमय विरमित कर देंगे, अन्यथा दिनांक 15.07.2019 के प्रभाव से स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

4. क्रम संख्या-1, 2, 3, 4, 6, 8 एवं 09 पर उल्लिखित कर्मियों का स्थानान्तरण उनसे प्राप्त विकल्प/अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। उन्हें कोई स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।



उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-


2471

पटना, दिनांक :-

28.06.19

1/उ० नि० स्थापना-05-02/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

2471

पटना, दिनांक :-

28.06.19

1/उ० नि० स्थापना-05-02/19

प्रतिलिपि :- सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

2471

पटना, दिनांक :-

28.06.19

1/उ० नि० स्थापना-05-02/19

प्रतिलिपि :- माननीय उद्योग मंत्री के आप्त सचिव/अपर सचिव, उद्योग विभाग/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय/अपर उद्योग निदेशक/सभी संयुक्त उद्योग निदेशक/सभी उप उद्योग निदेशक/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा/योजना), उद्योग निदेशालय/सभी सम्बन्धित महाप्रबंधक/उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना/प्रधान आप्त सचिव, सचिव कोषांग, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निजी सहायक, उद्योग निदेशक कोषांग/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग एवं सभी सम्बन्धित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।